

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (S-347) अलेसे-1/ 201

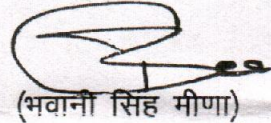
दिनांक:- 9/3/2021

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिक को उनके आवेदन के आधार पर दिनांक 27.05.2020 से 31.05.2020 तक का उपार्जित अवकाश एवं कॉलम संख्या 4 में अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III) के अनुसरण में नियमित करते हुए कॉलम संख्या 5 में अंकित अवधि के वेतन आहरण की कॉलम संख्या 6 में अंकित विभाग/कार्यालय से करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क. सं.	लिंक नं.	नाम कार्मिक मय पद (सर्वश्री)	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि	अवधि/माह जिसका वेतन भुगतान किया जाना है	प्रस्तावित कार्यालय जहाँ से भुगतान किया जाना है
1	2	3	4	5	6
1.	5142	श्री शंकर लाल खींची, सलेअ-1	दिनांक 01.06.2020 से 02.06.2020 तक (02 दिवस)	दिनांक 27.05.2020 से 02.06.2020 तक	निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर

यह निदेशक महोदय के स्तर से अनुमोदित है।


(भवानी सिंह मीणा)

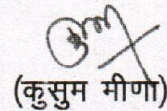
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)

क्रमांक:- एफ.2 (क) (S-347) अलेसे-1/ ~~9/3/20~~ 201

दिनांक:- 9/3/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर, को भेजकर लेख है कि संबंधित लेखाकर्मी के वेतन का भुगतान कर मय उक्त उपार्जित अवकाश का सेवापुस्तिका में इन्द्राज आवश्यक रूप से किया जावे।
2. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. श्री शंकर लाल खींची, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय- निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. निजी पत्रावली।


(कुसुम मीणा)

सहायक निदेशक (कार्मिक-1)